

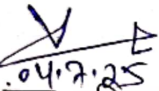
आदेश फलक

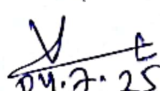
आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर विविध (जमाबंदी) वाद सं०-18/2005-26 बनाम प्रकाश बिरुवा, पिता- स्व० अर्जुन बिरुवा, ग्राम+पो०-पड़सा, मझगाँव।	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिपण्णी, तारीख सहित
01.04.2015	<u>आदेश</u> आवेदक प्रकाश बिरुवा, पिता- स्व० अर्जुन बिरुवा, ग्राम+पो०-पड़सा, थाना-मझगाँव के आवेदन के आलोक में इस अभिलेख की कार्रवाई प्रारंभ की गयी। आवेदक के आवेदन के अनुसार उनके पिता के नाम से मौजा-पड़सा, थाना नं० 400, खाता सं० 207, प्लॉट सं० 1129, रकवा- 10 डी० जमीन रजिस्टर-II में ऑनलाइन दर्ज करने का अनुरोध किया है। आवेदक प्रकाश बिरुवा ने अपने आवेदन के साथ बिक्री दलील सं० 2564, दिनांक 27.12.1994 की छायाप्रति, नामांतरण वाद सं० 111/2000-01 के शुद्धिपत्र की छायाप्रति, टी०ए०मिस केस सं० 240/1994-95 के आदेश की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति एवं खाता सं० 207 के मुल पंजी II की छायाप्रति संलग्न किया है। आवेदन एवं संलग्न कागजातों के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की माँग की गई जिनका प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा-पड़सा, थाना सं० 400, खाता सं० 207, प्लॉट सं० 1129, रकवा - 10 डी० भूमि का अपर समाहर्ता, प० सिंहभूम का न्यायालय, चाईबासा के टी०ए०मिस केस सं०-240/1994-95 दिनांक-27.10.1994 द्वारा बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त है। बिक्री केवाला सं० 2564, दिनांक- 27.12.1994 के तहत नामांतरण मु०सं० 111/2000-01 द्वारा श्री अर्जुन बिरुवा, निवासी ग्राम-पड़सा के नाम पर नामांतरण स्वीकृत है। उक्त भू खण्ड पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। ग्रामीण मुण्डा द्वारा उक्त भूमि का भू-लगान भुगतान किया जा रहा जिसका लगान रसीद सं० JH/40 1412570, वर्ष 2012-14 प्रस्तुत किया गया है। इस खाता का जमाबंदी पंजी II भाग सं० 01 तथा पृष्ठ सं० 131 में मोटाय हो तथा गंगा हो, पिता- लोदोहो हो के नाम से दर्ज है। अतः पंजी II (ऑनलाइन) में प्रविष्टि करने की स्वीकृति दी जा सकती है। प्रधान सहायक ने प्रतिवेदित किया है कि अंचल कार्यालय के पंजी 27 से आवेदक द्वारा संलग्न शुद्धि पत्र का छायाप्रति से मिलान किया, केस नं० 111/2000-01 का नामांतरण स्वीकृत है। आम इश्तेहार का तामिला कराया गया। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा प्रधान सहायक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक प्रकाश बिरुवा, पिता-स्व० अर्जुन बिरुवा, ग्राम+पो०-पड़सा,, थाना-मझगाँव ने बिक्री दलील सं० 2564, दिनांक- 27.12.1994 के द्वारा विक्रेता वामझी पिंगुवा, पिता- स्व० रूपा पिंगुवा, ग्राम-पड़सा, थाना-मझगाँव से मौजा-पड़सा, खाता सं० 207,	

प्लॉट सं० 1129, रकवा - 10 डी० भूमि क्रय किया है जिसका नामांतरण मु०सं०-111/2000-01 द्वारा नामांतरण स्वीकृत है और क्रेता के नाम से मुण्डा द्वारा लगान रसीद निर्गत है। अतः उक्त आलोक में आवेदित भूमि को क्रेता- अर्जुन बिरुवा, पिता-स्व० जाम्बीरा बिरुवा, ग्राम+पो०-पडसा, थाना-मझगाँव के नाम से ऑनलाइन प्रविष्ट करने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ऑनलाइन पंजी II के पृष्ठ सं० 131 भाग सं० 01 में मूल रैयत मोटाय हो तथा गंगा हो, पिता- लोदो हो वगैराह की जमाबंदी से खाता सं० 107, प्लॉट सं० 1129 के कुल रकवा 0.64 एकड़ मधे रकवा 0.10 एकड़ घटाकर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

9/2

लेखापित एवं
संशोधित


04.7.25
अंचल अधिकारी,
मझगाँव।


04.7.25
अंचल अधिकारी,
मझगाँव।